

//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)  
राजस्व प्रकरण संख्या :- 17/2023

उनवान

1. ईसराइल पुत्र कल्लू खों
2. मुराद पुत्र अली मौहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम अजबा का बाडिया, तहसील नसीराबाद

-- वादीगण :- जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत

बाम

1. गुड्डी पत्नी करीम जाति मुसलमान निवासी ग्राम अजबा का बाडिया, तहसील नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

-- प्रतिवादीगण :- 1 अनुपस्थित

2 जरियें राज0 पैरोकार



वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

:- निर्णय :-

दिनांक :- 6/5/24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बनेवडा में स्थित खसरा नम्बर 765 रकबा 0.30 की आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की सह खातेदारी की है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नहीं हुआ है। जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजी पर दखलंदाजी कर रहे हैं। एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमदा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

अधिवक्ता वादीगण ने निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की है व वादीगण द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में खातेदारी उद्घोषणा नहीं चाही गयी है। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने के कारण जवाब नहीं पेश करना जाहिर किया। प्रकरण में कोई खण्डन पेश नहीं होने से तनकी कायम नहीं की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने प्रकरण में कोई साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया।




उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद (अजमेर)

बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सह खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी का विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे हैं। राज0 पैरोकार ने जवाब नहीं पेश किया है। वादीगण द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा है। आराजी मुतनाजा के विभाजन से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पेश कर सकते हैं। वादीगण विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

अतः ग्राम अजबा का बाडिया के खसरा नम्बर 765 रकबा 0.30 की आराजी पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद



प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इक्टाई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

ईसराइल बनाम गुड्डी

दावा बावत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955


राजस्व मुकदमा नम्बर - 17 / 2023

पेश करने की दिनांक - 23.01.23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक कैलाश बीजावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम अजबा का बाडिया के खसरा नम्बर 765 रकबा 0.30 की आराजी पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद



खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

वअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 6 माह 5 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प वजह सबूत  
मेहनताना वकील  
फीस कमिश्नर  
खर्चा गवाहान  
बावत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प अरजी  
मेहनताना वकील  
खर्चा गवाहान  
फीस कमिश्नर  
बावत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद